दिल्ली विधान सभा सचिवालय समाचार भाग-2 (विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी) सोमवार, 18 जुलाई, 2005/आषाढ़ 27,1927 (शक)

संख्या- ७५

विषय:- सदस्यों की गिरफतारी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष,दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित निम्नलिखित संदेश अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, कमला मार्किट,दिल्ली से प्राप्त हुआ है:-

मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य डॉ. हर्षवर्द्धन एवं श्री रमेश विधुड़ी को दिनांक 15.7.2005 को अप. 12.35 बजे,थाना आई पी एस्टेट क्षेत्र के अंतर्गत बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित शहीद पार्क की प्रथम बैरिकेडस में दिल्ली पुलिस अधिनियम,1978 की धारा 65 के अंतर्गत गिरफतार किया गया।

उन्हें उसी दिन पुलिस स्टेशन आई.पी.एस्टेट से 12.45 बजे रिहा कर दिया गया।

सिद्धार्थ राव सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)

Monday 18th July, 2005/27 Ashadha 1927 (Saka)

No. 109

Sub: <u>DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS</u>

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from Addl. Commissioner of Police, Kamla Market, Delhi:

"I have the honour to inform you that Dr. Harshvardhan and Ramesh Vidhuri, Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi were detained U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 at the first barricades in front o Shaheed Park at B.S.Z marg, in the area of P.S. I.P. Estate at 12.35 P.M. on 15.7.2005.

They were released at 12.45 P.M. from the Police Station I.P. Estate on the same date."

SIDDHARATH RAO Secretary